न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 211/2016 **दायरा दिनांक : 18.11.2016**

उनवान

श्रीलाल आत्मज माधोलाल, जाति मीना, आयु 84 वर्ष, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— कन्हैया लाल आत्मज हीरालाल, जाति मीना, आयु 84 वर्ष, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— जमना बाई पत्नी कन्हैया लाल, जाति मीना, आयु 84 वर्ष, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— कालू आत्मज मांगी लाल, जाति मीना, आयु 84 वर्ष, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— रामस्वरूप आत्मज मदन, जाति मीना, आयु 84 वर्ष, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— राकेश आत्मज मदन, जाति मीना, आयु 84 वर्ष, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6— ललता बाई पुत्री मदन पत्नी कल्याण, जाति मीना, आयु 84 वर्ष, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7— सन्तोष बाई पुत्री मदन पत्नी रामनाथ, जाति मीना, निवासी गोरियाखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

8— भूरी बाई पुत्री मदन पत्नी देशराज, जाति मीना, निवासी पाटडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

9— सुनीता बाई पुत्री मदन पत्नी पूरीलाल, जाति मीना, निवासी परपती, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10— कमला बाई बेवा मदन, जाति मीना, आयु 84 वर्ष, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.01.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 28/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 और 2 ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया कि ग्राम मैठून, तहसील अकलेरा में खसरा नम्बर 120 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है और खसरा नम्बर 121 रकबा 9 बीघा 3 बिसवा और खसरा नम्बर 119 रकबा 7 बीघा 10

बिस्वा जो कि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है, उसमें से 8 फिट चौडा रास्ता कायम किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और दिनांक 15.07.2016 को निर्णय पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 121 में रास्ता कायम किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलांटगण के खाते में है उसमें गलत रूप से एक तरफा कार्यवाही कर रास्ता कायम किया गया है । निर्णय जल्दबाजी में पारित किया है । विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है । अपीलांट की विधिक तामील नहीं करवायी गयी है । रेस्पोडेंट के खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग मौजूद है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.11.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की विधि सम्मत रूप से तामील

नहीं करवायी गयी है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रास्ता कायम किया गया है । रेस्पोडेंट नम्बर 3 शिक्षित है फिर भी अंगूठे से उनकी तामील होना बतायी गयी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं । मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक रूप से रास्ता कायम किया गया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2001 पेज 370 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसील से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट के खाते की आराजी में रास्ता कायम किया गया है । तहसील की रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट के खेत तक पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 121 में रास्ता कायम किया है । खसरा नम्बर 121 के खातेदार श्रीलाल, धन्ना, कल्याण बेटा माधो, केसर बेटी माधो हिस्सा 1/2 और श्रीलाल बेटा माधो हिस्सा 1/2 दर्ज है । इसमें नामान्तरकरण संख्या 1137 का नोट अंकित है जिसके अनुसार विभाजन के फलस्वरूप खसरा नम्बर 121 की 9 बीघा 3 बिस्वा श्रीलाल पुत्र माधो के खाते में दर्ज होने के आदेश हुए हैं ।

अपीलांट को जो नोटिस तामील किया गया है उसमें गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है और न ही तहसील का पृष्ठांकन है । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए हैं । उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । हम न्याय हित में इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना भी उचित समझते हैं । साथ ही धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम करने के लिए यह आवश्यक होता है कि तहसील से यह स्पष्ट रिपोर्ट आये कि प्रार्थी रेस्पोडेंट के खाते में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । तहसील की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर भी गुणावगुण के आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण धारा 251 ए का है, जिसमें डिग्री बनाया जाना वांछनीय नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2018 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा